

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16


दिनांक:- 12/8/16

:: कार्यालय आदेश ::

श्रीमती कृष्णा अरोड़ा, व्याख्याता (गणित), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निरवाणा (सूरतगढ़) श्रीगंगानगर जिनकी जन्मतिथि 05.07.1956 है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक: 31.07.2016 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती कृष्णा अरोड़ा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-91 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।


(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक:- 12/8/16

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, बीकानेर ।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर ।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, निरवाणा (सूरतगढ़) श्रीगंगानगर ।
6. संबंधित कार्मिक श्रीमती कृष्णा अरोड़ा ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक:- 12/8/16

:: कार्यालय आदेश ::

श्री विजय कुमार उपाध्याय, (RVRES) व्याख्याता (गणित), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़ (जयपुर) जिनकी जन्मतिथि 01.07.1956 है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक: 30.06.2016 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री विजय कुमार उपाध्याय के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-91 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं ।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक: 12/8/16

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर ।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) ।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, गोविन्दगढ़ (जयपुर) ।
6. संबंधित कार्मिक श्री विजय कुमार उपाध्याय ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर